का मतदाता बिल

अधिकार

आपके निम्नलिखित अधिकार हैं:

1 **अगर आप पंजीकृत मतदाता हैं तो वोट देने का अधिकार।** आप वोट देने पात्र हैं अगर आप हैं:

- कैलिफोर्निया में रहने वाले अमेरिकी नागरिक
- कम से कम 18 वर्ष के हैं
- आप इस समय जहाँ रहते हैं वहाँ पंजीकृत हैं
- वर्तमान समय में राज्य या संघीय जेल या घोर अपराध की सजा के लिए पैरोल पर नहीं हैं
- वर्तमान समय में कोर्ट के द्वारा वोट देने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया है

2 **अगर आप पंजीकृत मतदाता हैं तो वोट देने का अधिकार फिर आपका नाम चाहे सूची में क्यों न हो।** आप अस्थाई मतपत्र का उपयोग करके मतदान करेंगे। अगर चुनाव अधिकारी निर्धारित करते हैं कि आप वोट देने के पात्र हैं तो आपका वोट गिना जाएगा।

3 **जब मतदान बंद हो जाता है तो भी अगर आप कतार में हैं तो वोट देने का अधिकार।**

4 **गुप्त मतपत्र डालने का अधिकार** कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा या यह नहीं बताएगा कि कैसे वोट दिया जाए।

5 **अगर आपने गलती कर दी है तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार,** अगर आप पहले ही अपना वोट नहीं डाल चुके हैं। आप कर सकते हैं:

नए मतपत्र के लिए मतदान स्थल पर निर्वाचन अधिकारी से पूछें, निर्वाचन कार्यालय पर या आपके मतदान स्थल पर **डाक के द्वारा वोट मतपत्र की नए मतपत्र के लिए अदला-बदली कीजिए** , या **मतपत्र का उपयोग करके वोट दीजिए।**

6 **अपने नियोक्ता या यूनियन प्रतिनिधि को छोड़कर** अपने द्वारा चुने गे किसी भी व्यक्ति से अपना मतपत्र डालने में सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

7 कैलिफोर्निया में **किसी भी मतदान स्थल पर पूरे किए गए डाक के द्वारा अपने वोट मतपत्र को डालने का अधिकार।**

8 **अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में चुनाव सामग्रियाँ प्राप्त करने का अधिकार** जबकि आपके चुनाव उप-क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में लोग उस भाषा को बोलते हों।

9 **चुनाव की कार्यविधियों के बारे में चुनाव अधिकारियों से प्रश्न पूछने** और चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार।

अगर जिस व्यक्ति से आप पूछते हैं वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता तो उसे अवश्य ही उत्तर के लिए सही व्यक्ति के पास भेजना चाहिए। अगर आप अशांत हैं तो वे आपको उत्तर देना बंद कर सकते हैं।

10 चुनाव अधिकारी या राज्य कार्यालय के सचिव को किसी गैरकानूनी या **कपटपूर्ण चुनाव गतिविधि की सूचना देने का अधिकार।**

- **www.sos.ca.gov** पर वेबसाइट पर
- फोन के द्वारा: **(800) 345-VOTE (8683)**
- ईमेल के द्वारा: **elections@sos.ca.gov**

अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किन्हीं अधिकारों से वंचित रखा गया है तो (800) 345-VOTE (8683) पर राज्य सचिव के गोपनीय टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन पर फोन करें।